अपील संख्या– 68 / 2025

| तारीख हुक्म | | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **लूणसिंह बनाम मोतीसिंह** | |
| 16-03-26 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत करने का कथन किया। पत्रावली वास्ते आदेश धारा 5 मियाद अधिनियम दिनांक 06–04–2026 को पेश हो। | |
| 06-04-26 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की बहस धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुनी जा चुकी है तथा अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पत्रावली के साथ शामिल मिसल है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा बात घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड का दिनांक 13–03–1990 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25–09–1991 को पारित किया गया। उक्त आदेश की अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 23–09–2025 को लगभग 34 वर्ष बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे उन्हे उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी शुरू से ही रही है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया था। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कंडोन करने के कोई पर्याप्त कारण दर्शित नही किये है जो व्यक्ति न्यायालय में न्याय प्राप्ति हेतु कन्सीलमेंट ऑफ फैक्ट के जरिये प्रार्थना पत्र व अपील प्रस्तुत करता है वह उसे न्यायालय द्वारा कोई राहत प्रदान किया जाना विधि द्वारा बाधित है ऐसा ही अभिमत माननीय | |

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक न्याय निर्णयों में दर्शित किया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–09–1991 को पारित किया गया था जिसकी अपील अपीलांट द्वारा 34 वर्ष पश्चात पेश की है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की शुरू से ही जानकारी थी। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा है। मोतीसिंह द्वारा जमीन का आगे बैचान कर दिया। दिनांक 03–09–2025 को मोतीसिंह वादग्रस्त आराजी पर कैसे हो सकता है। मोतीसिंह ने वादग्रस्त आराजी दिनांक 04–07–2024 को बैच दी। वर्तमान में खरीददारान का कब्जा है। अपीलांट द्वारा केवल झुठे तथ्य अपने धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किये है। इन झुठे तथ्यों के आधार पर मियाद कंडोन किया जाना उचित नही है। अतः अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील संख्य 7996/2021 निर्णय दिनांक 16–12–2021 प्रस्तुत किये।

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने लिखित बहस में कथन किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिकी परित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय ने कभी भी प्रार्थीगण को सुनवाई, सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जिससे प्रार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 03.09.2025 को अप्रार्थी संख्या 1/रेस्पोडेन्ट वादगत भूमि पर आये व प्रार्थीगण को कब्जा छोडने को कहा व वादगत भूमि अपने नाम होने का कथन किया जिस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 04.09.2025 को पटवार रिकार्ड की तहकीकात की तो निर्णय व डिकी की जानकारी होने पर उसी दिन नकल के लिए आवेदन दे दिया। नकल दिनांक 09.09.2025 को मिलने पर अपील पेश कर दी गई है। प्रार्थीगण ने जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है जिससे मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। मूल वादपत्र पत्रावली का अवलोकन फरमाया जावे। मूल वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कभी किसी पक्षकार को सम्मन जारी नहीं किया। बिना सम्मन तलबी के ही अपीलाधीन निर्णय व डिकी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जारी की है। बिना तलबी के ही प्रतिवादी को उपस्थित बता कर वाद का निर्णय किया जाना न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत है। मूल वाद में प्रार्थीगण को उपस्थित होना व इकबालिया जवाब पेश करने का कथन किया गया है जबकि मूल वादपत्र पत्रावली में कहीं भी प्रार्थीगण के हस्ताक्षर/अंगूठा निशा नहीं है, इकबालिया जवाब भी नहीं है, बयानात भी नहीं है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में, बिना जवाब लिये पारित किया गया है। एकपक्षीय निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील पेश करने में कोई मियाद नहीं होती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या 1 कभी भी ग्राम बीकमपुर का निवासी नहीं था जिसने अपने आपको बीकमपुर का निवासी बता कर प्रार्थीगण की मिसल बन्दोबस्ती भूमि को अपने नाम डिक्री करवाया है। वाद में स्टेट की ओर से प्रस्तुत जवाब से तथा वर्तमान अपील में अप्रार्थी संख्या 1/रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने निवास स्थान के बताये गये तथ्य से इस बात की ताईद होती है और ये सब तथ्य गुणावगुण पर ही तय होने है। मियाद बिन्दू पर अपील को निरस्त करने से प्रार्थीगण के वादगत भूमि में निहीत हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होगा। अतः अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2022(1) पेज 493, आरआरटी 2022(1) पेज 467, आरआरडी 1995 पेज 576, आरएलडब्ल्यु 2011(1) पेज 262, सीजे 2020(2) पेज 633, आरआरटी 2024(1) पेज 10, आरआरटी 2007(2) पेज 745, आरआरडी 2007 पेज 264, आरआरडी 1999 पेज 173, आरएलडब्ल्यु 2012(1) पेज 361, सीजे 2016(3) पेज 1450, डीएनजे 2018(2) पेज 618, डीएनजे 2020(4) पेज 1124, डीएनजे 2018 (2) पेज 456 प्रस्तुत किये।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर विनिश्चय किया जाना है न्यायालय द्वारा मियाद के सम्बन्ध में निम्नाकिंत बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है–

1– **क्या अपील अन्दर मियाद है अथवा नही?**

2– **क्या अपील पेश करने में विलम्ब हेतु अपीलांट द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किये गये है अथवा नही?**

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–10–1991 को पारित किया गया जबकि हस्तगत अपील दिनांक 23–09–2025 को प्रस्तुत की गई है। हस्तगत अपील **लगभग 34 वर्ष** पश्चात् प्रस्तुत की गई। अतः स्पष्टत है कि अपील मियाद अवधि के पश्चात् पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब कंडोन करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। न्यायालय को यह विचारण करना है कि क्या विलम्ब की अवधि अत्यधिक है अथवा नही? क्या अपीलांट द्वारा विलम्ब हेतु दर्शित कारण 'पर्याप्त कारण' है जिससे की न्यायालय का यह समाधान हो कि विलम्ब हेतु उत्तरदायी परिस्थितियॉ ऐसी थी, जो कि अपीलांट के नियंत्रण से बाहर हो।

इस हेतु मियाद अधिनियम के प्रावधानो पर गौर करना उचित होगा। मियाद अधिनियम की धारा 3 के अनुसार (1) Subject to the provisions contained in sections 4 to 24 (inclusive), every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed, although limitation has not been set up as a defence.

मियाद अधिनियम की धारा 5 के अनुसार–

"Any appeal or any application, other than an application under any of the provisions of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), may be admitted after the prescribed period, if the

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. ''

उपर्युक्त प्रावधानो के आलोक में यह स्पष्ट है कि धारा 3 मियाद अधिनियम के अनुसार न्यायालय मियाद से बाहर प्रस्तुत अपील को खारिज करेगा। वही धारा 5 यह प्रावधित किया गया है कि यदि अपील में विलम्ब हेतु अपीलांट द्वारा यदि संतोषप्रद कारण बताया जाता है तो न्यायालय उस पर विचार करेगा। संतोषप्रद कारण क्या है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1955 पेज संख्या 252 में यह अवधारित किया गया है कि–

''We have heard the learned counsel appearing for the parties and have gone through the recoed as well. It is ture that an appellate court is to exercise its own discretion while dealing with the question as to whether a " sifficient cause" for the delay under section 5 of the Indian Limitation Act exisits or not. But it is a general principle of law that discreationary power must be exercised on judicial principles and not" in any arbitrary vague or fanciful manner." The term '' Sufficient cause'' has not been defined anywhere in the Indian Limitation Acts, but it has been held that it must mean a cause which is beyond the control of the party invoking the aid of the section. Necessarily it follows that a case for delay which by due care and attention could have been avoided cannot constitute a sufficient cause.''

अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के संबंध में यह कारण अभिलिखित किया है कि *''न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत ने प्रार्थीगण को सुनवाई, सबूत का अवसर दिये बगैर, सरासर एकतरफा तौर पर कार्यवाही कर उपरोक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दर्ज करने का निर्णय व डिक्री पारित कर दिये और उपरोक्त निर्णय*

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

व डिक्री पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को सुनवाई सबूत का कोई अवसर नही दिया। तमाम कार्यवाही सरासर एकतरफा तौर पर बाला ही की गई है जिससे प्रार्थीगण को निर्णय व डिक्री की जानकारी नही हो सकी। दिनांक 03–09–2025 करे अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर आये वा प्रार्थीगण को आराजी मुतनाजा का कब्जा छोड़ने को कहा जिस पर प्रार्थीगण ने इंकार किया तो वह नाराज हो गया तथा भूमि अपने नाम होने का कथन किया तो प्रार्थीगण ने दिनांक 04–09–2025 को पटवारी रिकॉर्ड की तहकीकात की तो निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने उसी दिन नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन दे दिया। नकल बाद तैयारी दिनांक 09–09–2025 को जारी की गई। प्रार्थीगण ने जानबुझकर कोई देरी नही की है। देरी इल्म के अभाव में परिस्थितिवंश हुई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुसार क्षमा किये जाने योग्य है।

इसके जवाब में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे उन्हे उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी शुरू से ही रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोतीसिंह द्वारा वादग्रस्त आराजी का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04–07–2024 को निर्मला पत्नी देवाराम को किया जा चुका था। तो मोतीसिंह मौके पर कैसे उपस्थित हो सकता है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया था। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कंडोन करने के कोई पर्याप्त कारण दर्शित नही किये है।

इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में जो कथन किया है कि दिनांक 03–09–2025 को अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर आये वा प्रार्थीगण को आराजी मुतनाजा का कब्जा छोड़ने को कहा जिस पर प्रार्थीगण ने इंनकार किया। इस संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा फार्म नम्बर 3 के साथ प्रस्तुत विक्रय विलेख का अवलोकन किया। उक्त विक्रय विलेख के अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि मोतीसिंह पुत्र उम्मेदसिंह

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा प्रश्नगत आराजी का बैचान निर्मला पत्नी देवाराम को दिनांक 16–08–2024 को ही किया जा चुका था तो दिनांक 03–09–2025 को मोतीसिंह प्रश्नगत अराजी पर कैसे उपस्थित था? इस संबंध मे अभिभाषक अपीलांट द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया जा सका।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में कुल 7 प्रतिवादीगण पक्षकार के रूप में संयोजित थे। जिसमें अपीलांट बतौर प्रतिवादी संख्या 2 पक्षकार संयोजित था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 द्वारा इकबाल दावा पेश कर वाद पत्र के सभी बिन्दुओ को स्वीकार किया है और उन्होने निवेदन किया है कि उक्त भूमि वादी के नाम अंकित करने में उन्हे कोई ऐतराज नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्टेट का जवाब प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा में तनकीयात कायम की गई तथा प्रकरण में गवाह भी हुए। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे यह तथ्य स्पष्टतः प्रकट होता है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित था।

अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 25–09–1991 की अपील लगभग 34 वर्ष पश्चात् पेश की गई है। विलम्ब की यह अवधि अत्यधिक है। विलम्ब के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई संतोषप्रद कारण दर्शित नही किया गया है जिससे यह न्यायालय को यह समाधान हो कि यह विलम्ब के संबंध में पर्याप्त कारण है और विलम्ब की परिस्थितियॉ अपीलांट के नियंत्रण से बाहर थी।

विलम्ब की अत्यधिक अवधि (34 वर्ष) एवं इस दीर्घ अवधि के विलम्ब के संबंध में पर्याप्त/संतोषप्रद कारण न होने से इसे अन्दर मियाद शुमार नही किया जा सकता है। न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यु. 2008 (2) आर.जे. पेज संख्या 949 के आलोक में जहॉ अपील मियाद बाहर हो वहॉ गुणावगुण पर विचार नही किया जा सकता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने पर मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर